

प्रेषक,

डॉ० उमाकान्त पंवार
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



परिवहन अनुभाग-1

देहरादून,

दिनांक 8 मई 2012

विषय:-परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत सहायक अभियोक्ता परिवहन के एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-341/अधि0/एक-1/2010 दिनांक 29 नवम्बर 2010 तथा परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या-690/59/स0परि0/कैम्प/2001 दिनांक 25.06.2001 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-690/59/स0परि0/कैम्प/2011 दिनांक 25 जून, 2001 तथा संख्या-113परि/545 परि0/2003 दिनांक 26-02-2004 द्वारा सृजित सहायक अभियोक्ता परिवहन के 01 पद का विभाग में लम्बित वादों के दृष्टिगत पर्याप्त न होने के फलस्वरूप 01 अतिरिक्त अस्थायी पद (पूर्व वेतनमान रू० 5500-9000) पुनरीक्षित वेतन बैंड ₹ 9300-34800 ग्रेड वेतन ₹ 4200 में आदेश जारी करने की तिथि से 28 फरवरी, 2013 तक की अवधि के लिए, बशर्ते कि इससे पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पद सृजन के फलस्वरूप सहायक अभियोक्ता परिवहन के कुल 02 पद सृजित होंगे जिनमें एक पद गढ़वाल सम्भाग तथा एक पद कुमाऊँ सम्भाग हेतु सृजित होगा।

3- उक्त पद धारक को उक्त पद के वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुमन्य किये गये मंहगाई एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-342/XXVII(2)/2012 दिनांक 03 मई, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये गये हैं।

D.T.C.

आधिष्ठात

कृपा वार्ता

भवेदीय
(डॉ० उमाकान्त पंवार)
सचिव

G.O.2012.DOC
(डॉ० उमाकान्त पंवार)
आयुक्त परिवहन
उत्तराखण्ड

संख्या- 16 /ix-1 /2012-344 /2010 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 4- समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव।

प्रेषक,
एसओ सगारवागी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में
परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड देहरादून।

परिवहन अनुभाग-1

देहरादून

दिनांक 25 अप्रैल, 2011

विषय- परिवहन विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संरचनात्मक ढांचे का संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पुनर्गठन।

महोदय,

परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या-213/ix/543/2008 दिनांक 05-08-2008 के द्वारा परिवहन विभाग के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन करते हुए संशोधित किया गया था। कार्गिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-183/XXX(2)/2010 दिनांक 11 फरवरी 2010 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू करने के निर्देश दिये गये हैं एवं जिन कार्यालयों में 10 या इससे अधिक मिनिस्ट्रीयल कर्मी हों वहां पर 01 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2- अतः सहायक परिवहन आयुक्त के पत्र संख्या-14/अधि/एक-1/2010-11 दिनांक 18-01-2011 के क्रम में परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या-213/ix/543/2008 दिनांक 05-08-2008 को संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कार्गिक विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 11-02-2010 के प्राविधान के अनुसार परिवहन विभाग के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन करते हुए निम्न तालिका में अंकित विवरणानुसार मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदों का पुनर्गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

1-परिवहन आयुक्त कार्यालय

क्र०सं०	पदनाम	स्वीकृत पद	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न का प्रतिशत	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पद
1	2	3	4	5
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	-	01
2	प्रशासनिक अधिकारी	11	20%	08
3	मुख्य सहायक	09	18%	08
4	प्रवर सहायक	09	30%	13
5	कनिष्ठ सहायक	14	32%	14
	योग	44		44

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

कोपि
आ. नं. 12
25/4/11

2- संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय

क0सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न का प्रतिशत	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पद
1	2	3	4	5
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	--	--	15
2	प्रशासनिक अधिकारी	19	20%	39
3	मुख्य सहायक	69	18%	48
4	प्रवर सहायक	84	30%	80
5	कनिष्ठ सहायक	95	32%	85
	योग	267		267

- 2- पुनर्गठन के फलस्वरूप वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के सृजित होने वाले पद किसी भी कार्यालय में 01 से अधिक नहीं रखे जायेंगे।
- 3- उक्त पुनर्गठित 267 पदों में चैकपोस्टों हेतु स्वीकृत कनिष्ठ सहायक के 57 पद भी सम्मिलित हैं।
- 4- शारानादेश संख्या-213/ix/543/2008 दिनांक 05-07-2008 को उक्त सीमा तक ही संशोधित संभाला जाय।

गवदीय,
(एसओ रामारवागी)
प्रमुख सचिव

संख्या-114/IX/543/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय विल्डिंग, भाजरा, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूं मण्डल नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कामगार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. एन0आई0 सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न का प्रतिशत	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पद
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	--	--	15
2	प्रशासनिक अधिकारी	19	20%	39
3	मुख्य सहायक	69	18%	48
4	प्रवर सहायक	84	30%	80
5	कनिष्ठ सहायक	95	32%	85
	योग	267		267

आज्ञा से,
(गरिमा रौकली)
उप सचिव

संख्या- 213 /ix/543 /2008

प्रेषक,

एस0रामास्वामी,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन अनुभाग-1

देहरादून:

दिनांक 05 जुलाई, 2008

विषय-परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के संरचनात्मक ढाँचे में मिनिस्टीरियल संवर्ग का पुनर्गठन।
महोदय,


उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या क्रमशः 419/xxvii(3)/2005 दिनांक 13-09-2005 व संख्या-76/xxvii(7)/2006 दिनांक 03-06-2006 तथा संख्या-110/xxvii(7)/2006 दिनांक 29-06-2006 के क्रम में स्टाफिंग पैटर्न लागू करते हुए परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या-690/59/स0परि0कैम्प/2001 दिनांक 25 जून, 2001 एवं शासनादेश संख्या-113परि0/545(परि0)/2003 दिनांक 26 फरवरी, 2004 द्वारा परिवहन विभाग में मिनिस्टीरियल संवर्ग में सृजित कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-1, कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-2, मुख्य सहायक (पूर्व में वरिष्ठ सहायक कम व0 डाटा इण्ट्री आपरेटर), प्रवर सहायक (पूर्व में वरिष्ठ लिपिक कम क0 डाटा इण्ट्री आपरेटर) तथा कनिष्ठ सहायक (पूर्व में कनिष्ठ लिपिक कम क0 डाटा इण्ट्री आपरेटर) के कुल सृजित 311 पदों का श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् पुनर्गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान (रु0 में)	परिवहन आयुक्त कार्यालय हेतु पुनर्गठित पदों की संख्या	संभागीय/ उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों हेतु पुनर्गठित पदों की संख्या	चैक पोस्टों हेतु	कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	6500-10500	01	-	-	01
2	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1	5500-9000	04	04	-	08
3	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2	5000-8000	07	15	-	22
4	मुख्य सहायक	4500-7000	09	69	-	78
5	प्रवर सहायक	4000-6000	09	84	-	93
6	कनिष्ठ सहायक	3050-4590	14	38	57	109
	योग		44	210	57	311

आधीषण
05/07/08

05/07/08

- 2- लिपिकीय सर्वग में उपरोक्तानुसार स्वीकृत पदों के नाम, वेतनमान एवं संख्या का उल्लेख संगत सेवा नियमों में प्राथमिकता के आधार पर संशोधन सुनिश्चित किया जायेगा। पूर्व निर्गत आदेशों में उक्त मदों के नाम व संख्या भी उक्तवत संशोधित समझी जाय।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1113/xxviii(7)/2008 दिनांक 23 जुलाई, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

 (एस0 रामास्वामी)
 सचिव।

संख्या- /ix/ /2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- वित्त अनुभाग-3/7
- 5- एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय केन्द्र, देहरादून।
- 6- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(गरिमा रौकली)
 उप सचिव।

क्र.सं.	वर्ग	आवृत्ति	संख्या	वेतनमान	विवरण	श्रेणी
10			10	0020-0028	कनिष्ठ	7
20		10	10	001-0028	नि.कमी	5
25		25	25	002-0028	कनिष्ठ	6
35		25	25	001-0028	कनिष्ठ	3
45		10	10	001-0028	कनिष्ठ	6
50	18	80	11	028-0028	कनिष्ठ	8
55	18	1015	11		कनिष्ठ	

जा. 26/02/04

संख्या- 113 परि0/545(परि0)/2003

प्रेषक,	नृप सिंह नपलच्याल, प्रमुख सचिव, उत्तरांचल शासन।
सेवा में,	परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
परिवहन अनुभाग,	देहरादून: दिनांक 26 फरवरी, 2004

विषय:- परिवहन विभाग, उत्तरांचल के संरचनात्मक ढाँचे का पुनर्गठन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-690/59/स0परि0कैम्प/2001 दिनांक 25, जून 2001, जिसके द्वारा परिवहन विभाग, उत्तरांचल के संरचनात्मक ढाँचे का पुनर्गठन किया गया था, की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में वाहनों की बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप परिवहन विभाग के कार्यों में पर्याप्त बढ़ोत्तरी होने से दूरस्थ जनपदों में वाहनों की चैकिंग न होने के फलस्वरूप अनधिकृत संचालन होने और परिवहन विभाग के लिए निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए, श्री राज्यपाल महोदय परिवहन विभाग, उत्तरांचल के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 25, जून 2001 में संशोधन करते हुए, परिवहन विभाग के संगठनात्मक ढाँचे का निम्नवत् पुनर्गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. परिवहन आयुक्त कार्यालय :-

2-परिवहन आयुक्त कार्यालय में बढ़े हुए कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए कमशः आडिट अनुभाग, एम0आई0एस0 अनुभाग एवं आविधित अनुभाग के नामों से 03 नये अनुभागों का सृजन करते हुए पूर्व में स्वीकृत पदों, जिनका उल्लेख तालिका के प्रस्तर- 4 में किया गया है, के अतिरिक्त प्रस्तर- 5 में उल्लिखित अतिरिक्त पदों को आदेश निर्गत करने की तिथि से 29.02.2004 तक बशर्त कि उसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, सृजन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

परिवहन आयुक्त कार्यालय हेतु पदों का विवरण

पदनाम	वेतनगान	पूर्व में स्वीकृत पद	वर्तमान में स्वीकृत अतिरिक्त पद	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1. परिवहन आयुक्त	संवर्गानुसार	01	-	01	
2. अपर परिवहन आयुक्त	14300-18300	01	-	01	
3. उप परिवहन आयुक्त	12000-16500	03	-	03	
4. सहायकपरिवहनआयुक्त (प्रशासन)	10000-15200	01	-	01	

Handwritten signature

5.	वित्तनियंत्रक / व0लेखाधिकारी		01	-	01
6.	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी	8000-13500	02	-	02
7.	सहायक लेखाधिकारी	6500-10500	01	-	01
8.	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-1	5500-9000	01	-	01
9.	सहायक अभियोक्ता	5500-9000	01	-	01
10.	संख्या सहायक	5000-8000	-	01	01
11.	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-2	5000-8000	01	01	02
12.	सम्परीक्षक / ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	5000-8000	01	-	01
13.	लेखा परीक्षक	4000-6000	-	02	02
14.	वैयक्तिक सहायक	5500-9000	-	01	01
15.	आशुलिपिक कम कन्सोल आपरेटर	5000-8000	02	-	02
16.	आशुलिपिक कम व0डाटा इन्ट्री आपरेटर	4000-6000	06	-1	05
17.	संकलनकर्ता	4000-6000	-	01	01
18.	वरिष्ठ सहायक कम व0डाटा इन्ट्री आपरेटर	4500-7000	06	-	06
19.	वरिष्ठ लिपिक कम व0डाटा इन्ट्री आपरेटर	4000-6000	06	01	07
20.	कनिष्ठ लिपिक कम व0डाटा इन्ट्री आपरेटर	3050-4590	12	02	14
21.	लेखाकार	5000-8000	01	-	01
22.	सहायक लेखाकार	4000-6000	-	01	01
23.	लेखालिपिक	3050-4590	01	-	01
24.	चालक / प्रवर्तन चालक	3050-4590	09	-	09
25.	प्रवर्तन पर्यवेक्षक	3050-4590	01	-	01
26.	प्रवर्तन सिपाही	2750-4400	09	-	09
27.	चपरासी / चौकीदार / सफाईकार	2550-3200	12	-	12
	योग-		79	09	88

3-आशुलिपिक कम वरिष्ठ डाटा इन्ट्री आपरेटर के पूर्व में स्वीकृत 6 पदों में से एक पद अपग्रेड कर उसके स्थान पर वैयक्तिक सहायक का पद स्वीकृत किया जा रहा है ।

4-उपरोक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश में वाहनों की संख्या में हुई वृद्धि को देखते हुए परिवहन सम्बन्धी कार्यों के सुचारु सम्पादन तथा जनता को निकटस्थ स्थानों चपर वाहनों के पजीयन एवं कर आदि जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिकोण से अल्मोडा में एक नये सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय की स्थापना करते हुए पूर्व से स्वीकृत संभागीय परिवहन कार्यालयों कमशः देहरादून, पौड़ी तथा हल्द्वानी में पूर्व में सृजित पदों का पुनर्निर्धारण करते हुए सभी चार कार्यालयों हेतु तालिका के प्रस्तर- 13 में उल्लिखित अतिरिक्त पदों को सृजित किये जाने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

संभागीय कार्यालयों में पूर्व स्वीकृत एवं कुल प्रस्तावित पदों का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	देहरादून		हल्द्वानी		पौड़ी		अल्मोडा		योग		
		पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	पूर्व स्वीकृत	कुल प्रस्तावित	वर्तमान में रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	संभागीयपरिवहन अधिकारी	01	01	01	01	01	01	--	01	03	04	01
2.	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी	02	02	02	02	02	02	--	02	06	06	02
3.	यात्रीकर अधिकारी	01	01	01	01	01	01	--	01	03	04	01

	(प्राथमिक)												
4.	यात्रीकर अधीक्षक	01	02	01	01	01	02	01	01	07	04	13	09
5.	मुख्य लिपिक	01	01	01	01	01	01	01	01	07	02	11	09
6.	लेखालिपिक	01	01	01	01	01	01	01	01	07	03	11	08
7.	वरिष्ठ सहायक कम क0डाटाइण्ट्री ऑपरेटर	01	02	01	02	01	02	01	02	14	03	22	19
8.	वरिष्ठ लिपिक कम क0डाटाइण्ट्री ऑपरेटर	05	04	05	03	04	04	01	03	21	15	35	20
9.	कनिष्ठ लिपिक कम कनिष्ठ डाटा इण्ट्री ऑपरेटर	05	06	05	05	04	06	02	05	35	16	57	41
10.	प्रवर्तन पर्यवेक्षक	01	01	01	01	01	01	01	01	07	04	11	07
11.	प्रवर्तन चालक	01	01	01	01	01	01	01	01	07	03	11	08
12.	प्रवर्तन सिपाही	04	05	04	04	04	05	03	04	28	15	46	31
13.	चपरासी	06	03	06	03	03	03	02	03	21	17	33	16
	योग-	28	30	29	25	22	30	13	25	175	92	285	193

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान में स्थापित 12 चेकपोस्टों के अतिरिक्त कौडियाला (कोटद्वार-नजीबाबाद मार्ग), नादेही (धामपुर- काशीपुर मार्ग), जसपुर (धामपुर- अफजलगढ़- काशीपुर मार्ग), दौराहा (काशीपुर - रामपुर मार्ग) मेलाघाट (खटीमा- मेलाघाट-पुरनपुर मार्ग), बनबसा (बनबसा- नेपाल मार्ग), त्यूनी (हिमाचल प्रदेश की सीमा पर) अर्थात् कुल 7 स्थानों पर अतिरिक्त चेकपोस्ट स्थापित करने हेतु निम्नलिखित पदों को उनके सम्मुख उल्लिखित वेतनमानों में आदेशा निर्गत करने की तिथि से 29.02.2004 तक, बशर्त कि इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जाय, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान (रु0) में	पूर्व में स्वीकृत पदों की संख्या	वर्तमानमें स्वीकृत अतिरिक्त पद	कुल स्वीकृत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	यात्रीकर अधिकारी	6500-10500	0	04	04	
2.	यात्रीकर अधीक्षक	5000-8000	36	21	57	
3.	कनिष्ठ लिपिक कम क0डाटा इण्ट्री ऑपरेटर	3050-4590	12	45	57	
4.	प्रवर्तन सिपाही	2750-4400	72	42	114	
	योग-		120	112	232	

उपरोक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते, जो भी नियमानुस अनुमन्य होंगे, देय होंगे।

उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप तदविषयक संवर्ग में अस्थायी अभिवृद्धि के रूप में माने जायेंगे। तकनीकी पदों अतिरिक्त समूह ग व घ के पदों को यथासम्भव सरप्लस मूल/ छंटनी शुदा कार्मिकों से समायोजन द्वारा भरे जायेंगे और इसके द्व पदों को भरा जाना सम्भव न होने पर ही सीधी भर्ती से पदों को भरा जायेगा।

